

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <p>तारीख हुयम</p> | <p>हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br/> <b>नेमाराम</b><br/> <b>बनाम</b><br/> <b>लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार भोपालगढ़)</b><br/> सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353017332826986</p>   | <p>न. व तारीख<br/> अटकम जो<br/> इस हुयम की<br/> तामील में<br/> जारी हुए</p> |
| <p>11/09/25</p>   | <p>अपीलार्थी नेमाराम निवासी कुरियों का मोहल्ला, भोपालगढ़ ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 17.07.2025 को ग्राम पंचायत बासनी हरिसिंह के तीनों राजस्व ग्रामों कुकड़दा, सुवाना व बासनी हरिसिंह में आपदा अनुदान खरीफ वर्ष 2023 से लाभान्वित किसानों की सूची एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेसपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ़) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ़) ने जरिये पत्रांक 161 दिनांक 21.08.2025 से बतलाया कि कार्यालय के पत्रांक 156 दिनांक 13.08.2025 द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि चाही गई सूचनाओं में कृषकों के बैंक खाता नम्बर व आधार नम्बर अंकित है जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी है जिस कारण ऐससी सूचना नहीं दी जा सकती है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(गौरव अग्रवाल)<br/> जिला कलक्टर, जोधपुर</p> |   |

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.09.11 16:46:19 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ret No.:  
17714397

जोधपुर जिला कलक्टर का कार्यालय